एक नजर में

रेत खनन कार्य पूर्णत: प्रतिबंधित

राजगढ़ 09 जुलाई, का. वर्षा ऋतु के लिए मानसूत्र सत्र की अवधि 15 जून से 01 अक्टूबर निर्धारित की गई है. जिले में रेत उत्खनन पर रोक लगाने के संबंध में स्थानीय मौसम परिवर्तन के आधार पर उक्त निर्धारित वर्षाकाल अवधि में परिवर्तन किया गया है. कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा जिले में विगत वर्षों की तरह ही इस वर्ष भी मानसून सत्र की अवधि निर्धारित करते हुए 30 जून की मध्यरात्रि से 01 अक्टूबर तक समस्त रेत खदानों में खनिज रेत खनन कार्य पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है.

मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के आवेदन

राजगढ़ 09 जुलाई, का. सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना के प्रभावी एवं पारदर्शी क्रियान्वयन हेतु एनआईसी मध्यप्रदेश के सहयोग से स्पर्श पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रणाली विकसित की गई है. इसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए योजना का संचालन ऑनलाइन किया जाएगा. उपसंचालक ने बताया कि योजना के अंतर्गत पात्र दिव्यांग छात्र-छात्राएं स्वयं स्पर्श पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन दर्ज कर सकेंगे. वित्तीय वर्ष 2026-27 में अध्ययनरत पात्र विद्यार्थियों से 31 अगस्त तक आवेदन प्राप्त किए जाएंगे. उन्होंने बताया कि प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर पात्रता के आधार पर स्वीकृति अथवा अस्वीकृति की कार्रवाई 15 सितंबर तक की जाएगी. योजना का उद्देश्य दिव्यांग विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन प्रदान कर उनकी शैक्षणिक प्रगति को बढ़ावा देना है.

योजना से बनाया आजीविका का साधन

राजगढ़ 09 जुलाई, का. राजगढ़ जिले के ग्राम हबीपुरा निवासी श्रीमती मंजुबाई एवं उनके पति श्री कमलसिंह ने जिला अंत्यावसायी विभाग की संत रविदास स्वरोजगार योजना का लाभ लेकर अपना स्वरोजगार शुरू किया. वर्ष 2025-26 में ऑनलाइन आवेदन के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा राजगढ़ से उन्हें 3 लाख रुपये का ऋण प्राप्त हुआ. ऋण मिलने पर उन्होंने राजगढ़ में यूनियन बैंक के पास एमपी ऑनलाइन सेंटर एवं बैंक ऑफ बड़ौदा की कियोस्क शुरू की. वर्तमान में दुकान से अच्छी आय हो रही हैप्त दुकान का किराया और बैंक ऋण की मासिक किस्त जमा करने के बाद भी उन्हें लगभग 13 हजार रुपये प्रतिमाह की बचत हो रही है. श्रीमती मंजुबाई एवं श्री कमलसिंह का कहना है कि इस योजना ने उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है और आज वे अपना जीवन-यापन अच्छे से कर रहे हैं.

नवजात शिशुओं के जन्म प्रमाण पत्रों का नियमित वितरण

राजगढ़ 09 जुलाई, का. जिला चिकित्सालय राजगढ़ में शासन के निर्देशानुसार पिछले एक वर्ष से नवजात शिशुओं के जन्म प्रमाण पत्र नियमित रूप से जारी किए जा रहे है. अस्पताल से डिस्चार्ज होने के साथ ही नवजात शिशुओं के अभिभावकों को जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे उन्हें प्रमाण पत्र के लिए अस्पताल के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं. प्रत्येक पात्र हितग्राही को निर्धारित समय-सीमा में जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे विभिन्न शासकीय एवं आवश्यक कार्यों में सुविधा मिल रही है.

बीपीएल योजना में 1 लाख की बाइक का झांसा

अलग-अलग तरीकों से हो रही साइबर ठगी, बीपीएल योजना में पल्सर बाइक देने का लालच

बीपीएल योजना में 8 लाख एवं मोटरसाइकिल दिलाने का झांसा देकर साइबर ठगी करने वाला आरोपी उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार
1 लाख 50 हजार नगद सहित 01 मोबाइल फोन एवं 02 सिम कार्ड जब्त

नवभारत न्यूज

राजगढ़ 09 जुलाई, का. जिले में साइबर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने एवं आमजन को साइबर ठगी से सुरक्षित रखने हेतु पुलिस अधीक्षक राजगढ़ अमित तोलानी (भापुसे) के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक केएल बंजारे के मार्गदर्शन एवं एसडीओपी राजगढ़ अरविंद सिंह राठौर के निर्देशन में थाना प्रभारी कालीपीठ के नेतृत्व में थाना कालीपीठ पुलिस द्वारा साइबर ठगी के एक महत्वपूर्ण प्रकरण का सफल खुलासा करते हुए आरोपी को उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से गिरफ्तार किया गया. आरोपी के कब्जे से 1 लाख 50 हजार नगद, 01 मोबाइल फोन एवं 02 सिम कार्ड बरामद किए गए.

पति काम से राजस्थान गया, बीवी के पास ठगों ने फोन किया

फरियादी मुकेश पिता इमरत गिर, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम लहरचा ने थाना कालीपीठ में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह ड्राइवरी का कार्य करता है तथा दिनांक 05 जून से 16 जून तक कार्यवश टोंक (राजस्थान) गया हुआ था. उसकी अनुपस्थिति में उसकी पत्नी मौसमबाई के मोबाइल पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा फोन कर स्वयं को शासकीय योजना से संबंधित बताते हुए कहा गया कि बीपीएल सूची में नाम आने पर 8 लाख नगद एवं एक पल्सर मोटरसाइकिल प्रदान की जाएगी.

आरोपियों ने योजना का लाभ दिलाने के नाम पर अलग-अलग मोबाइल नंबरों एवं के माध्यम से किस्तों में राशि जमा करवाई. जब ऑनलाइन भुगतान की सीमा समाप्त हुई तो फरियादी की पत्नी ने कालीपीठ स्थित कंप्यूटर सेंटर के माध्यम से भी राशि ट्रांसफर करवाई। इस प्रकार आरोपियों ने छलपूर्वक कुल ?1,50,017 की साइबर ठगी कर ली.

फरियादी की रिपोर्ट पर थाना कालीपीठ में अपराध क्रमांक 141/2026 अंतर्गत धारा 318(4) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई. प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना कालीपीठ पुलिस द्वारा विशेष टीम गठित की गई. टीम ने तकनीकी साक्ष्यों, डिजिटल ट्रांजेक्शन, बैंक खातों, मोबाइल नंबरों एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का गहन विश्लेषण किया. विवेचना के दौरान यह तथ्य सामने आया कि आरोपी फर्जी सिम कार्ड एवं बैंक खातों का उपयोग कर भोले-भाले लोगों को सरकारी योजनाओं का झांसा देकर साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे.

बेहतर तकनीकी विवेचना एवं मुखबिर सूचना के आधार पर आरोपी की लोकेशन जनपद झांसी (उत्तर प्रदेश) में प्राप्त हुई. पुलिस तत्काल उत्तर प्रदेश रवाना हुई तथा स्थानीय पुलिस के सहयोग से दबिश देकर आरोपी राघवेंद्र पिता रामस्वरूप कुशवाहा, उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम खजराहा, थाना उल्दन, जिला झांसी (उ.प्र.) को गिरफ्तार किया. ट्रांजिट प्रक्रिया पूर्ण कर आरोपी को राजगढ़ लाया गया. पूछताछ के दौरान आरोपी के कब्जे से 1 लाख 50 हजार नगद, 01 मोबाइल फोन एवं 02 सिम कार्ड बरामद किए गए. प्रकरण में आरोपी से पूछताछ जारी है. साइबर ठगी से जुड़े अन्य आरोपियों, फर्जी बैंक खातों, फर्जी सिम कार्ड उपलब्ध कराने वाले व्यक्तियों एवं पूरे नेटवर्क के संबंध में विवेचना की जा रही है.

आरोपियों को झांसी से किया ट्रैस

पुलिस ने मामले में तकनीकि साक्ष्यों की मदद से राघवेंद्र पिता रामस्वरूप कुशवाहा, उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम खजराहा, थाना उल्दन, जिला झांसी उत्तर प्रदेश में ट्रैस कर हिरासत में लिया है. आरोपी से पुलिस ने 1 लाख 50 हजार नगद, 01 मोबाइल फोन और 02 सिम कार्ड जब्त किए है. उक्त कार्रवाई में उप निरीक्षक जितेंद्र अजनारे, उप निरीक्षक विष्णु मीणा, प्रधान आरक्षक मुकेश पवैया, प्रधान आरक्षक चेतन चौहान, प्रधान आरक्षक कुलदीप, आरक्षक रवि जाट, आरक्षक अशोक एवं आरक्षक अंतिम की सराहनीय भूमिका रही.

पुलिस की अपील

राजगढ़ पुलिस आमजन से अपील करती है कि सरकारी योजनाओं, बीपीएल लाभ, लॉटरी, इनाम या अन्य किसी भी प्रलोभन के नाम पर धनराशि जमा करने के लिए आने वाले फोन कॉल या संदेशों पर विश्वास न करें। किसी भी अनजान व्यक्ति के कहने पर बैंक खाते, सिम कार्ड, अथवा अन्य गोपनीय जानकारी साझा न करें. साइबर धोखाधड़ी होने पर तत्काल राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 दर्ज करें.

दोस्ती, शादी के नाम पर नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद

दोस्त की बहन के साथ दोस्ती की, घर बुलाकर दुष्कर्म किया

नवभारत न्यूज

ब्यावरा 09 जुलाई, का. दोस्ती करने के बाद दुष्कर्म और शादी का झांसा देकर फिर से धोखा देने के मामले में न्यायालय ने एक आरोपी को अलग-अलग धाराओं में आरोप सिद्ध होने पर उम्र कैद और 10 साल के कारावास की सजा से दण्डित किया है.

तहसील न्यायालय ब्यावरा में पदस्थ प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती रजनी प्रकाश बाथम ने फैसला सुनाते हुए आरोपी अल्फेज पिता अफजल खान निवासी नट मोहल्ला, थाना सुठालिया, तहसील ब्यावरा, जिला राजगढ़ को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है. अभियोजन की ओर से प्रकरण में पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती डॉली गुप्ता के द्वारा की गई.

मामला एक वर्ष पुराना है. थाना सुठालिया में 04 अगस्त 25 को सुबह फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 14 वर्षीय बेटी बिना बताये कही चली गई थी. काफी ढूंढने पर भी वह नही मिली. फरियादी ने शक जताते हुए अल्फेज पिता अफजल खान पर बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने का आरोप लगाया. उक्त सूचना पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया.

पुलिस जांच के दौरान 14 वर्षीय पीड़िता के कथन लिये गये. जिसमें उसने बताया गया कि वह अभियुक्त को पहले से जानती है क्योकि वह उसके भाई का दोस्त है. अल्फेज उसे फोन लगाने लगा था दोनों की दोस्ती हो गई थी. अभियोक्त्री ने अपने कथन में यह भी बताया था कि एक दिन वह घर पर अकेली थी तो अभियुक्त ने उससे घर पर आकर जबरदस्ती बलात्कार किया.

अभियोक्त्री रोने लगी तो अभियुक्त ने उससे कहा था कि वह उससे शादी कर लेगा लेकिन यदि यह बात घर में किसी को बताई तो उसके माता पिता को जान से खत्म कर देगा. डर के कारण पीड़िता ने घटना के बारे में किसी को नही बताया था. दूसरे दिन सुबह करीब 8 बजे अभियुक्त उसके घर आया और शादी का झांसा देकर नरसिंहगढ ले गया. 10 सितम्बर 2025 को अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया. मामले में अंतिम रूप से फैसला सुनाते हुए आरोपी को सजा सुनाई गई है. न्यायालय ने माना कि अभियुक्त ने रिपोर्ट करने के काफी पहले पीड़ित बालिका के साथ उस समय शारीरिक संबंध बनाये थे जब उसके घर पर कोई नही था. बचाव पक्ष के द्वारा अपने तर्को में इस तथ्य पर बार बार बल दिया गया कि डीएनए रिपोर्ट निगेटिव है जिसका फायदा अभियुक्त को दिया जाना चाहिए किन्तु पीडित बालिका के दस्तयावी के तुरंत उपरांत दिये गये कथनों की वीडियोग्राफी के आधार पर दोष सिद्व किया है.

यूट्यूब और इंस्टाग्राम से रखेंगे किसानों को अलर्ट

अल-नीनो की संभावित परिस्थितियों के मद्देनजर किसान कृषि विभाग के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ें

नवभारत न्यूज

राजगढ़ 09 जुलाई, का. संभावित अल-नीनो की परिस्थितियों तथा वर्षा की अनिश्चितता को देखते हुए किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने जिले के किसानों से विभाग द्वारा जारी मौसम आधारित कृषि परामर्श का नियमित पालन करने की अपील की है. इसके लिए किसानों से विभाग के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ने का आग्रह किया गया है, ताकि उन्हें समय-समय पर आवश्यक कृषि संबंधी जानकारी प्राप्त होती रहे. उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने बताया कि विभाग द्वारा किसानों को मौसम पूर्वानुमान, वर्षा की स्थिति, फसल प्रबंधन, कीट एवं रोग नियंत्रण, उर्वरक प्रबंधन, जल संरक्षण सहित अन्य महत्वपूर्ण कृषि संबंधी जानकारियां फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम एवं थ्रेड्स जैसे आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं. इन जानकारियों के आधार पर किसान समयानुकूल कृषि कार्य कर संभावित जोखिमों को कम कर सकते हैं.

उन्होंने बताया कि जिले के सभी विकासखंडों के कृषि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि विभाग द्वारा जारी संदेशों एवं कृषि सलाह का व्यापक प्रचार-प्रसार करें तथा अधिक से अधिक किसानों को विभाग के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जोड़ें, जिससे मौसम आधारित कृषि परामर्श समय पर किसानों तक पहुंच सके. उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा किसानों से अपील की है कि वे विभाग के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो एवं सब्सक्राइब करें तथा विभाग द्वारा जारी कृषि परामर्श का लाभ उठाकर वैज्ञानिक पद्धति से खेती करें.

प्रतिबंध के बावजूद आखेट, सवा क्विंटल मछली जब्त

राजगढ़ 09 जुलाई, का. जिले में बंद ऋतु के दौरान अवैध मत्स्याखेट पर रोक लगाने के लिए मत्स्य विभाग द्वारा सघन अभियान चलाते हुए गत दिवस को विभिन्न नदी-नालों एवं वृहद जलाशयों में छापामार कार्रवाई की गई. कार्रवाई के दौरान लगभग 50 किलोग्राम प्रतिबंधित थाई, मांगुर मछली जब्त की गई, जिसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने के कारण गड्ढा खोदकर दफन कर विनष्ट कर दिया गया. अलग-अलग स्थानों से 75 किलोग्राम मेजर कार्प मछली भी लावारिस अवस्था में जब्त की गई, जिसे स्थानीय स्तर पर नीलाम कर 5 हजार रुपये की राशि शासकीय खजाने में जमा कराई गई. कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर मत्स्य निरीक्षक दिनेश कुमार वंदेरिया के नेतृत्व में गठित टीम ने लीमाचौहान, सारंगपुर, पचोर, ब्यावरा एवं राजगढ़ क्षेत्र के जलाशयों तथा नदी-नालों का निरीक्षण किया. टीम के पहुंचने की सूचना मिलते ही अवैध मत्स्याखेट में संलिप्त लोग मौके पर पकड़ी गई मछलियां छोड़कर फरार हो गए. विभाग ने जब्त मछलियों की नियमानुसार कार्रवाई करते हुए नीलामी की प्रक्रिया पूर्ण की. सहायक संचालक मत्स्योद्योग सुनील कुमार शुक्ला ने बताया कि शासन द्वारा मछलियों के प्रजनन काल को देखते हुए 16 जून से 15 अगस्त तक बंद ऋतु घोषित की गई है. इस संबंध में कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा भी अधिसूचना जारी कर प्रतिबंध लागू किया गया है. प्रावधानों के अनुसार बंद ऋतु के दौरान अवैध मत्स्याखेट करना दंडनीय अपराध है.

जिले में 12वीं के टॉपर शिवम को पुरस्कार में बाइक मिली

जीरापुर 09 जुलाई, सं. महर्षि पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्र शिवम गिरी निवासी रूपाहेड़ा ने इस वर्ष कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम में जिले की प्रवीणता सूची में प्रथम स्थान प्राप्त कर विद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन किया है. उल्लेखनीय है कि विद्यालय प्राचार्य दिनेश गुर्जर और डायरेक्टर शिवचरण दांगी ने पिछले सत्र में विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए घोषणा की थी कि जो छात्र जिले की प्रवीणता सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करेगा, उसे पुरस्कार स्वरूप होण्डा शाइन मोटरसाइकिल दी जाएगी. वादा पूरा करते हुए संस्था ने जिला टॉपर बने कक्षा 12वीं के छात्र शिवम गिरी को मोटरसाइकिल पुरस्कार स्वरूप भेंट की. इस दौरान छात्र शिवम गिरी ने कहा कि उन्होंने प्राचार्य दिनेश गुर्जर, संचालक शिवचरण दांगी और शिक्षकों के मार्गदर्शन में मेहनत कर यह उपलब्धि हासिल की है. छात्र ने बिना ट्यूशन के केवल स्कूल में पढ़ाई कर सफलता प्राप्त की और विद्यालय व परिवार का नाम ऊंचा किया. इस अवसर पर विद्यालय अध्यक्ष दिनेश जमींदार ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि हर विद्यार्थी को लक्ष्य बनाकर काम करना चाहिए ताकि हमारी मेहनत का वास्तविक फल प्राप्त कर सके. इस अवसर पर प्राचार्य दिनेश गुर्जर, संचालक शिवचरण दांगी और वरिष्ठ शिक्षक दिलीप राठौर, अजय पंचोली, राधेश्याम तोमर, पवन दांगी, कमल गुर्जर, प्रीतम, राजेश शर्मा, जितेंद्र कारपेंटर, उमाशंकर वैष्णव, स्पोर्ट्स इंचार्ज ध्रुव भाटी उपस्थित रहे.

छापीहेड़ा के नवागत सीएमओ ने पदभार ग्रहण किया

नवभारत न्यूज

छापीहेड़ा 09 जुलाई, सं. नगर परिषद सीएमओ हरिओम शर्मा का स्थानांतरण 16 जून को सुसनेर हो गया था उसके बाद से प्रभारी राम नगर को बनाया गया था. अब माचलपुर सीएमओ देवेंद्र कुमार वत्स को अतिरिक्त प्रभार छापीहेड़ा नगर परिषद का दिया गया है. वत्स ने गुरुवार को नगर

परिषद सीएमओ का पदभार ग्रहण किया. उल्लेखनीय है कि वत्स नगर के ही होनहार युवा हैं और पूर्व में यही से अपनी जीवनयात्रा छोटे से पद से प्रारंभ की थी. उसके उपरांत नलखेड़ा, खिलचीपुर, माचलपुर में सेवाएं दे चुके है. उनको इस नपा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. जो उनकी सफल कार्यशैली का प्रतीक है. नगर परिषद कर्मचारी एवं पार्षदों ने फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया.

50 साल से बिजली आपूर्ति की रीढ़ बना ट्रांसफार्मर

प्रदेश में मिसाल बना सारंगपुर का ट्रांसफार्मर

राजगढ़/सारंगपुर 09 जुलाई, का. मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ऊर्जा विभाग शशिकांत ओझा द्वारा बताया गया कि मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपी ट्रांसको) के राजगढ़ जिले के विकासखण्डर सारंगपुर स्थित सबस्टेशन में भारत की सरकारी कंपनी एनजीईएफ द्वारा 1976 का निर्मित 20 एमवीए क्षमता का एक पावर ट्रांसफार्मर आज केवल विद्युत उपकरण नहीं, बल्कि राजगढ़ एवं मालवा क्षेत्र के विकास, तकनीकी उत्कृष्टता और समर्पित रखरखाव की एक जीवंत मिसाल बन चुका है. वर्ष 1976 में पहली बार ऊर्जीकृत हुआ यह ट्रांसफार्मर पिछले 50 वर्षों से प्रदेश के औद्योगिक, कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को निरंतर और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति प्रदान कर रहा है.

आधी शताब्दी की अपनी गौरवशाली यात्रा में इस ट्रांसफार्मर ने मौसम, तकनीक, विभिन्न क्षेत्र और विद्युत तंत्र के अनेक बदलाव देखे हैं, लेकिन सत्तर के दशक में निर्मित इसकी उच्च गुणवत्ता और मजबूत अभिकल्पना के कारण इसकी कार्यक्षमता एवं विश्वसनीयता आज भी उल्लेखनीय बनी हुई है. यह उस दौर का साक्षी है जब मालवा क्षेत्र में औद्योगिक विकास गति पकड़ रहा था और आज भी उसी निष्ठा के साथ विकास की ऊर्जा का आधार बना हुआ है. मध्यप्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने इस उपलब्धि को प्रदेश की ऊर्जा कंपनियों के सामूहिक प्रयास, तकनीकी दक्षता और कर्मठता का उत्कृष्ट उदाहरण बताया है. उन्होंने विद्युत क्षेत्र के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश को ऊर्जा क्षेत्र में नई ऊँचाइयों तक पहुंचाने में ऐसे योगदान सदैव प्रेरणादायी और स्मरणीय रहेंगे। ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने कहा कि आज जब ऊर्जा क्षेत्र में उपकरणों की बढ़ती जटिलता और तेजी से बदलती तकनीकों के बीच संसाधनों के अधिकतम उपयोग की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है, तब सारंगपुर का यह ट्रांसफार्मर एक प्रेरक उदाहरण बनकर सामने आता है.

योजना ▶ लक्ष्य से पीछे रहने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई -कलेक्टर डॉ. मिश्रा

दस्तक अभियान और टीबी मुक्त अभियान को लक्ष्य की तरह लें

दस्तक अभियान की तैयारियों की समीक्षा तीन दिन में पोर्टल अपडेट और एएनसी पंजीयन शत-प्रतिशत करने के निर्देश

नवभारत न्यूज

राजगढ़ 09 जुलाई, का. जिले में 14 जुलाई से शुरू होने वाले दस्तक अभियान की तैयारियों को लेकर गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में स्वास्थ्य एवं सहयोगी विभागों की संयुक्त जिला समन्वय बैठक आयोजित की गई. बैठक में कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने स्पष्ट कहा कि अभियान के दौरान निर्धारित लक्ष्य हर हाल में पूरे किए जाएं. लक्ष्य के अनुरूप प्रगति नहीं मिलने पर संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी. कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने निर्देश दिए कि दस्तक पोर्टल पर सभी बच्चों की जानकारी तीन दिवस के भीतर शत-प्रतिशत दर्ज की जाए.

साथ ही अभियान में उपयोग होने वाली सभी आवश्यक दवाइयां, उपकरण एवं अन्य संसाधन समय रहते मैदानी अमले को उपलब्ध कराए जाएं. उन्होंने कहा कि ऐसा माइक्रोप्लान तैयार किया जाए जिससे जिले का कोई भी गांव या शहरी वार्ड अभियान से वंचित न रहे. आवश्यकता पड़ने पर नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भी सेवाएं ली जाएं.

बैठक में 14 जुलाई से 31 अगस्त तक चलने वाले दस्तक अभियान के तहत 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों के घर-घर जाकर स्वास्थ्य परीक्षण की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई. कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने अभियान को पूरी गंभीरता और गुणवत्ता के साथ संचालित करने के निर्देश दिए.

टीबी मुक्त राजगढ़ के संकल्प को जनआंदोलन बनाएं

राजगढ़ 09 जुलाई, का. कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन अभियान की समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने जिले में टीबी उन्मूलन के लिए किए जा रहे कार्यों की विस्तार से समीक्षा करते हुए कहा कि टीबी अब लाइलाज बीमारी नहीं है. समय पर जांच, नियमित उपचार और समाज के सहयोग से इसे पूरी तरह हराया जा सकता है. उन्होंने सभी संबंधित विभागों एवं सामाजिक संगठनों से अभियान को जनभागीदारी का स्वरूप देने का आह्वान किया. कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने टीबी मरीजों को स्वस्थ एवं सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी ली तथा अभियान से जुड़े टीबी चैंपियनों के अनुभव सुने. उन्होंने कहा कि टीबी को मात देकर सामान्य जीवन जी रहे लोगों की प्रेरणादायी कहानियां समाज में नई आशा का संचार करती हैं. ऐसे अनुभवों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि टीबी से जुड़े भ्रम और सामाजिक भेदभाव समाप्त हों तथा मरीज बिना किसी संकोच के समय पर उपचार प्राप्त करें. बैठक में जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. मनीष कुमार ने स्लाइड प्रस्तुतीकरण के माध्यम से जिले में अभियान की प्रगति, उपलब्धियों तथा वर्तमान चुनौतियों की जानकारी दी. उन्होंने टीबी मरीजों की पहचान, उपचार, निक्षय पोषण योजना, संपर्कों की जांच एवं सामुदायिक सहभागिता सहित विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा प्रस्तुत की.